न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 82 / 2021

डालचन्द गोयल पुत्र लक्ष्मन प्रसाद निवासी सुभाषनगर भरतपुर केयर ऑफ लक्ष्मन ट्रेडर्स बाबा मैरिज होम के सामने नुमाईश रोड भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 25.10.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि डालचन्द गोयल पुत्र लक्ष्मन प्रसाद निवासी सुभाषनगर भरतपुर केयर ऑफ लक्ष्मन ट्रेडर्स बाबा मैरिज होम के सामने नुमाईश रोड भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2021 से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 649दिनांक 12.10.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से पत्र कमांक / 2190 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 2190 दिनांक 22.10.2021 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने जवाब पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित पत्र कमांक 337 दिनांक 31.08.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर